

- चुनाव के दौरान एस एम एस के गलत इस्तेमाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए पुलिस विभाग की ओर से आम जनता के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप नम्बर जारी किया गया है।
- निकोबार ज़िले में शोम्पेन आदिम जनजाति के मतदाताओं के लिए दो मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
- अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
- निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे उस भ्रामक संदेश को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान नहीं कर सकते।
- मतदाता जागरूकता के लिए आई आर बी एन की ओर से बुलेट रैली का आयोजन किया गया।

<><><><><><><>

चुनाव के दौरान एस एम एस के गलत इस्तेमाल को रोकने तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से आम जनता के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप नम्बर जारी किया गया है। आम जनता नौ पांच तीन एक आठ पांच छः शून्य आठ तीन पर डायल कर आपत्तिजनक संदेशों की जानकारी दे सकते हैं। जानकारी देते समय उन्हें संदेशवाहक के नम्बर आदि का विवरण देना होगा। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस जांच-पड़ताल करेगी और नियमों के तहत कार्रवाई करेगी। इसके माध्यम से ऑनलाइन अपराध को भी रोका जा सकेगा। पुलिस ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए नागरिकों से सहयोग की कामना करते हुए उनसे सतर्क रहने को कहा है और ऐसे किसी भी सोशल मीडिया के दुरुपयोग व एस एम एस के गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट देकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सहयोग दें।

<><><><><><><>

निकोबार ज़िले में शोम्पेन आदिम जनजाति के मतदाताओं के लिए दो मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी ने बताया कि यदि शोम्पेन आदिम जनजाति अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ई वी एम के बारे में इनको जानकारी दी गई है और इन आदिम जनजाति के मतदाताओं ने बड़े उत्साह से जानकारी हासिल की।

उन्होंने कहा कि दूर-दराज के मतदान केन्द्रों में किसी भी चुनौतियों से निपटने के लिए भी योजना बनाई गई है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और नशीले पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं। पिछले दिनों मादक पदार्थ विरोधी पुलिस थाने की टीम ने मुख्य डाकघर में छापा मारा और जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के बीए राजनीति विज्ञान के एक छात्र जी. नीरज को तीन सौ पच्चीस ग्राम गांजा के पार्सल के साथ गिरफ्तार किया। फोंगीचांग निवासी छात्र को गांजा सरकारी डाक कोरियर सेवा के माध्यम से भेजा गया था। डिगलीपुर पुलिस की ओर से भी मधुपुर क्षेत्र में छापा मारकर एक सौ तीस ग्राम गांजा जब्त किया गया और मधुपुर निवासी जगदीश चन्द्र दास को गिरफ्तार किया गया।

उधर, बिल्लीग्राउंड पुलिस ने कर्टबर्ट बे के घने जंगलों में चार सौ लीटर लहान ज़ब्त किया। इसके अलावा बकुलतला के श्यामकुंड के जंगल में भी डेढ़ सौ लीटर से अधिक लहान नष्ट किया गया। दक्षिण अंडमान पुलिस टीम की ओर से पिछले महीने के अंतिम पखवाड़े में चलाए गए अभियान के दौरान पैसठ आबकारी के मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किए गए और बड़ी मात्रा में शराब ज़ब्त किया गया।

<><><><><><><>

निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे उस भ्रामक संदेश को फर्जी करार दिया जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान नहीं कर सकते। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आयोग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात पात्र अधिकारी मतदाता सुविधा केन्द्र से डाक मतपत्र के जरिये मतदान कर सकते हैं। आयोग ने लोगों से जागरूक रहने और भ्रामक संदेशों से सतर्क

